उत्तर प्रदेश शासन
कृषि अनुभाग-2
संख्या: 70/2017/3333/12-2-2017-बजट.1/2009
लखनऊ: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2017

शुद्धि-पत्र

कृषि अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 57/2017/2854/12-2-2017-बजट.1/2009 दिनांक 29 अगस्त, 2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 2006.18 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 1173.18 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी जिसके साथ मानक मदवार व्यय विवरण में टंकण त्रुटि के कारण मानक मद-13 टेलीफोन पर व्यय तथा मानक मद-16 व्यवसायिक सेवाओं के भुगतान का उल्लेख नहीं हो सका जिसके फलस्वरूप वित्तीय स्वीकृति की धनराशि के मानक मदवार विवरण में भिन्नता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

साथ ही उक्त निर्गत वित्तीय स्वीकृति के प्रस्तर-7 में शासनादेश संख्या: 820/12-2-2015-61/2012 दिनांक 31 मार्च, 2015 तथा शासनादेश संख्या- 3544/12-2-2016-61/2012 दिनांक 05 नवम्बर, 2012 का अक्षरश: पालन किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं जबकि कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं हेतु ऑन-लाईन पंजीकरण, लाभार्थी चयन तथ अनुदान के डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (डी0बी0टी0) तथा अन्य भुगतानों हेतु प्रक्रिया व दिशा-निर्देश संबंधी कृषि अनुभाग-3 के निर्गत शासनादेश संख्या: 20/2017/543/12-3-2017-100(61)/12 टी0सी0 दिनांक 26 मई, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किए जाने का निर्देश अंकित होना था।

2. अत: दिनांक 29 अगस्त, 2017 को निर्गत वित्तीय स्वीकृति के मदवार विवरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

मानक मद	मांगी जा रही वांछित धनराशि लाख रूपये में
02-मजदूरी	23.00
04-यात्रा व्यय	9.00
08-कार्यालय व्यय	7.00
09-विद्युत देय	12.18
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	6.00
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	6.00
13-टेलीफोन पर व्यय	5.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	17.00
16-व्यवसायिक सेवाओं का भुगतान	1.00
27-सब्सिडी	891.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

29-अनुरक्षण	15.00
42-अन्य व्यय	29.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	116.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	24.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	6.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.00
योग:	1173.18

3. उक्त के साथ वित्तीय स्वीकृति के निर्गत शासनादेश दिनांक 29 अगस्त, 2017 के प्रस्तर-7 में कृषि रक्षा यंत्रों पर देय अनुदान के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 20/2017/ 543/12-3-2017-100(61)/12 टी0सी0 दिनांक 26 मई, 2017 में दिये गये शर्तो व दिशा-निर्देशों का अक्षरश: पालन किया जायेगा।

4. तदनुसार पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 29 अगस्त, 2017 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 70/2017/3333(1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ/संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर कृषि निदेशक, (कृषि रक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।